



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajabasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-12/2025/डी-

7107

दिनांक :-

10/1/25

श्रीमती नीता देवी पत्नी श्री सुलतान सिंह धायल
श्रीमती राज किरण पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह चौहान
श्रीमती संतोष लुणावत पत्नी श्री धर्मेवीर लुणावत
निवासी-मांचवा, तहसील कालवाड, जयपुर।

विषय:- राजस्व ग्राम मांचवा तहसील कालवाड के खसरा नम्बर 1057/179
रकबा 0.5374 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "रघुनाथ
रेजीडेन्सी" का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत में लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत राजस्व ग्राम मांचवा तहसील
कालवाड के खसरा नम्बर 1057/179 रकबा 0.5374 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित
आवासीय योजना "रघुनाथ रेजीडेन्सी" का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 369वीं
बैठक दिनांक 08.10.2024 को किया जा चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में
अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत भूखण्ड संख्या 20, 21, 24 व 27 कुल भूखण्ड 4
क्षेत्रफल 449.50 वर्ग मी. जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय
विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर तथा रहन
मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

Signature valid

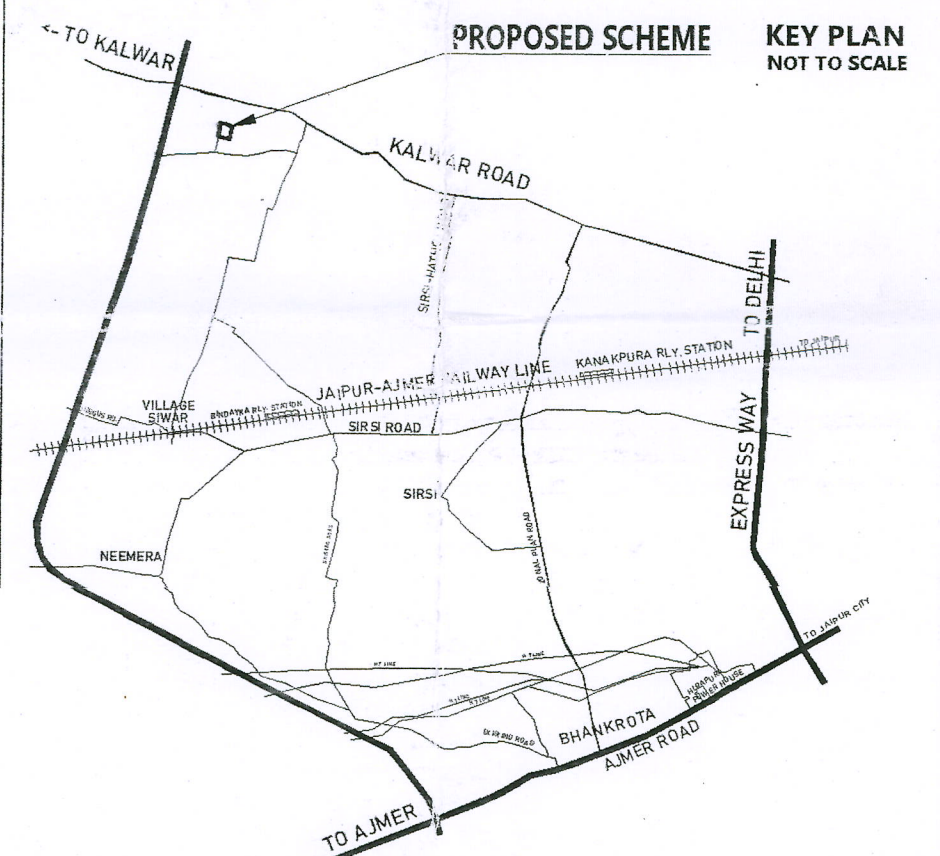
Digitally signed by Rakesh Kumar
Meena
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.01.10 18:04:23 IST
Reason: Approved



बारकोड=1352833 Rgjh- 02424

LAYOUT PLAN OF SCHEME- RAGHUNATH RESIDENCY IN KHASRA NO. 1057/179 AT VILLAGE- MACHWA, TEHSIL- JAIPUR, DIST.- JAIPUR

J.D.A. 1498
B
10.1.25



मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण विधि :-
१. कुल आवासीय भूखण्ड = 27
२. खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड = 1

Residential Scheme Area Analysis:-

S.no.	Land Use	Area(sq.mt.)	Percent	
1	Residential	2570.25	47.83 %	49.72 %
2	Retail comm.	101.71	01.89 %	
3	Park	200.00	03.73 %	50.28 %
4	S.w.m.	50.00	00.93 %	
5	telecom (tower)	10.00	00.19 %	
6	Gas line corridor (Green/Park)	692.00	12.88 %	
7	Road	1750.04	32.56 %	
Total area		5374.00	100.00 %	100.00 %

योजना की मौके जांच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना की सड़कों, भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जांच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

डेडीकेटेड सलाहकार
फर्म का नाम एवम् हस्ताक्षर

Note:-

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जॉन के अमीन द्वारा किया गया है

- नोट
- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 - अर्बित भूमि को 90ए की कार्यवाही दिनांक 15.09.2023 को छोड़ दिया है।
 - योजना की भूमि में चमूराअभियोग की घास 90ए की कार्यवाही प्रधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 20, 21, 24, 27 कुल भूखण्ड 4 कुल क्षेत्रफल 449.50 वर्गमीटर है, को जमिंदार ने अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे खन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/वट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करारकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
 - योजना का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 369 वीं बैठक दिनांक 08.10.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण है एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आवासीय दर्शित है।
 - इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग गव. पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बीपीसी (एलपी) द्वारा जारी यूओनोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार किया जावेगा।
 - योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पेशमीटर्स एवं सैटवेक्स जॉबिंग (जयपुर शैलन सक्) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

सहायक नगर नियोजक
जॉन-12

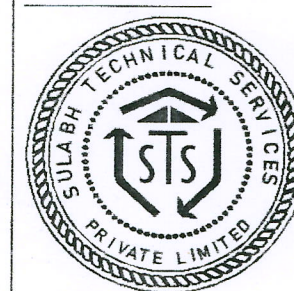
सहायक नगर नियोजक
जॉन-12

सहायक नगर नियोजक
जॉन-12

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बीपीसी (एलपी)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बीपीसी (एलपी)

Consultant



Sulabh Technical Services Pvt. Ltd.
B-85/A, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-15
☎ 9414066188, 9829147939
Email:- stsjpr15@gmail.com
website:- stsjpr.com

NAME OF SOCIETY :-			NII KHATEDARI		
NAME OF SCHEME :-			RAGHUNATH RESIDENCY		
ZONE NO.- 12		SECTOR NO.- 70			
SCALE:- 1 : 500 1 cm = 5 mtr.		DRG. NO.			
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR					